



पूर्व तट रेलवे/EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Chief Personnel Officer
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर- 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 54/2016
पूतरे/कार्मिक/आर/ ECoR/ Pers/R/Trg.-24

RBE No. 46/2016
दिनांक/Date: 27.05.2016

सेवा मे,

सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

विषय/ Sub: Forwarding of gazette Notification No.G.S.R.130 (E) dated 25.01.2016,
regarding revision of educational qualification of designated trades under Act.

पूतरे के विषय क्रमांक/ECoR's Subject Serial No.TRG-02/2016

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(MPP)/2016/6/2 दिनांक 03.05.2016 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's letter No. E(MPP)/2016/6/2 dated 03.05.2016 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

संलग्न/Encl: यथोक्त/As above,

(M. Ganga Bhavani)

Dy. Chief Personnel Officer(IR&W)

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to : महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर

- 1) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 2) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 3) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-1),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण)

809
20/5/16



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

9

08/12
23/10/2016
20/5

New Delhi, RBE No. 46/2016
Dated: 03.05.2016

No. E(MPP)/2016/6/2

For
The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.130 (E) dated 25.01.2016, regarding revision of educational qualification of designated trades under Act.

A copy of the Notification No.G.S.R.130(E) dated 25th January, 2016 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Extraordinary Gazette of India issued by Shri Satish Kumar, ADT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training regarding revision of educational qualification of designated trades under Act is enclosed for information, guidance and necessary action.

Please acknowledge receipt.

DA: As above

Anuradha Singh
03/5/16
(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board

No. E(MPP)/2016/6/2

Dated: 03.05.2016

Copy forwarded for information:

Copy for information to:

- 1 Shri Satish Kumar, ADT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training, 2nd Floor, Shivaji Stadium Annex, Shaheed Bhagat Singh Marg, New Delhi - 110001.

Anuradha Singh
03/5/16
(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

No. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 130(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शिक्षता परिषद् के साथ परामर्श से, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये 1 सितम्बर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम 1992 की अनुसूची-1 में-

- (i) "होटल एवं कैटरिंग व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 15 में, क्रम संख्या 9 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
- (ii) "कटिंग एंड टेलरिंग व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 19 में, क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
- (iii) "कृषि व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 20 में, क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

- (iv) "कम्प्यूटर व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 29 में,
 क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
 ख) क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
 "बहु कौशल व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 31 में, क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
- (v) "आतिथ्य व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 36 में,
 क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
 ख) क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
- (vi) "कार्यालय प्रबंधन व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 37 में,
 क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
 ख) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
- (vii) "स्वास्थ्य सहायित व्यवसाय समूह" से संबंधित समूह संख्या 38 में,
 क) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
 ख) क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";
- (viii) "पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यापार समूह", से संबंधित समूह संख्या 39 में, क्रम संख्या 1 के स्थान पर स्तंभ 8 में प्रविष्टियों हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "10 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य";

[सं. एमएसडीई-2(5)/2015-एपी]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 1 अगस्त, 1992, में सा.का.नि. संख्यांक 356, तारीख 15 जुलाई 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्यांक 502 (अ) तारीख 16 जून 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2016

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the 1st day of September, 2015.
2. In Schedule-I to the Apprenticeship Rules 1992 -
 - (i) in group number 15, relating to the "Hotel and Catering Trades Group", against serial number 9, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (ii) in group number 19, relating to the "Cutting and Tailoring Trades Group", against serial number 8, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (iii) in group number 20, relating to the "Agriculture Trades Group", against serial number 6, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (iv) in group number 29, relating to the "Computer Trades Group", -
 - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - b) against serial number 4, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (v) in group number 31, relating to the "Multi Skill Trades Group", against serial number 8, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent";
 - (vi) in group number 36, relating to the "Hospitality Trades Group", -
 - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - b) against serial number 5, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (vii) in group number 37, relating to the "Office Management Trades Group", -
 - a) against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - b) against serial number 2, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
"Passed 10th class examination or its equivalent";
 - (viii) in group number 38, relating to the "Health Allied Trades Group", -
 - a) against serial number 2, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted;
"Passed 10th class examination or its equivalent";

CPC

- b) against serial number 3, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
 - "Passed 10th class examination or its equivalent";
- (ix) in group number 39, relating to the "Library and Information Science Trades Group", against serial number 1, for the entries in column 8, the following entries shall be substituted, namely:-
 - "Passed 10th class examination or its equivalent".

[No. MSDE-2(5)/2015-AP]
RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, Sub-section (i), dated the 1st August, 1992 *vide* number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* number G.S.R. 502(i), dated the 16th June, 2015.